

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०)

रैफरेंस संख्या -66/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।



प्रार्थी

बनाम

1. तुलाराम पुत्र चिरंजी कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास- मृतक
  - 1/1. रामश्री पत्नी तुलाराम-मृतक
  - 1/2. रमेशचंद पुत्र तुलाराम-मृतक
    - 1/2/1. अशोक कुमार
    - 1/2/2. राजकुमार-मृतक
    - 1/2/3. पवनकुमार
    - 1/2/4. राजकुमार
    - 1/2/4/1. रजना पत्नी राजकुमार
    - 1/2/4/2. प्रशान्त पुत्र राजकुमार
    - 1/2/4/3. प्रियंका पुत्री राजकुमार पत्नी धर्मेन्द्र नि० पेट्रोल पम्प के पास मुरैना म०प्र०
    - 1/2/5. अनिलकुमार पुत्रान राजकुमार
    - 1/2/6. शिवकुमार
    - 1/2/7. सीता पुत्री रमेशचंद पत्नी महेश दूरा फतेहपुर उ०प्र०
    - 1/2/8. गीता पुत्री रमेशचंद पत्नी योगेश रेल्वे फाटक के पास बयाना भरतपुर।
  - 1/3. महेशचंद पुत्र तुलाराम
  - 1/4. हरप्यारी पुत्री तुलाराम पत्नी सीताराम हाल आबाद फाटक के पास रूपवास।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आवंटन आराजी खसरा नम्बर 1949/1057 रकबा 0.01 बीघा के विरुद्ध बिना आवंटन के दर्ज गैरखातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत्।

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी०



निर्णय

दिनांक : 06.05.2025

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रूपवास द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत आराजी खसरा न0 1949/1057 रकबा 0.01 गै0मु0 तालाब वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये।

उभय पक्ष अभिभाषण की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) रूपवास के द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1949/1057 रकबा 0.01 बीघा वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास में गै0मु0तालाब दर्ज है। वर्णित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0तालाब के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2012-2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा संख्या 1057/9.07 के रूप में रहा है। वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड विवादित आराजी खसरा नम्बर 1947/1057 रकबा 0.01 वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास का बिना आवंटन के हुक्मन खातेदारी से नामान्तकरण संख्या 804 दिनांक 05.09.1973 से जमाबंदी संवत् 2029-2032 में खाता संख्या 154 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत वर्जित भूमियों की श्रेणी में आती है तथा ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति को आवंटन किया जाना एवं अधिकार अभिलेख में गैरखातेदार/खातेदार दर्ज किया जाना नियम विरुद्ध है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी मान0उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2024 एवं मान0 लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पिटिशन न0 14757/2017 पुरुषोत्तम बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार रेफरेन्स तैयार की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिबन्धानुसार नियम 4 राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत इस आराजी का



आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। जब अप्रार्थी को किया गया आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानों के विपरीत है तो उसके आधार पर इन्द्राज गैरखातेदार तत्पश्चात् खातेदार अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य रहते हैं। सार्वजनिक उपयोग की आराजी के किये गये बिना आवंटन एवं इन्द्राज गैरखातेदार/खातेदार विधि विरुद्ध माना गया है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1949/1057 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0तालाब पर पुश्तैनी आराजी रही है तथा खातेदारान की खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है तथा आराजी पर पक्के मकानात काफी वर्षों से बने हुये हैं जिनमें अप्रार्थीगण रहवास कर रहे हैं। उक्त भूमि कभी भी जल भराव क्षेत्र की नहीं रही है तथा मौके पर पक्के मकानात बने हुये हैं। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थीगण के हित निहित तथा उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार तथा अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1949/1057 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0तालाब वाले ग्राम रूपवास तहसील रूपवास के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसमें जमाबंदी संवत् 2012-2015 में खाता संख्या 714 के ख0न0 1057 रकबा 9.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन दर्ज है तथा जमाबंदी संवत् 2029-32 में खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0तालाब दर्ज होकर चिरंजी बल्द शोभाराम सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2069-72 में खसरा नम्बर 1949/1057 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0तालाब पर तुलाराम पुत्र चिरंजी कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा0स0 804 से ख0न0 1057 पर कॉलम न05 में मकबूजा सरकार (आबादी) के स्थान पर विभिन्न खातेदारों सहित चिरंजी पुत्र शोभाराम कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1949/1057 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0तालाब दर्ज रही है तथा वर्तमान में भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। तहसीलदार रूपवास की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार आराजी पर मौके पर पक्का निर्माण मकानात /दुकान वगै0 बने हुये होना अवगत कराया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित भूमि पर किसी व्यक्ति को आवंटन/गैरखातेदार दर्ज किया जाना वर्जित रहता है। अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे गै0मु0तालाब सार्वजनिक उपयोग की आराजी के किये गये आवंटन को विधिसम्मत माना जा सके। जब अप्रार्थी के पूर्वज को किया गया आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानों के विपरीत

है तो उसके आधार पर इन्द्राज गैरखातेदार के नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया है जो अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य रहते है। भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है इस जलभराव की भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है। इस प्रकार गै0मु0तालाब की भूमि को खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है और यदि ऐसी भूमि पर किसी आदेश/डिक्री के द्वारा यदि खातेदारी प्रदत्त कर दिये गये है तो वह प्रभाव शून्य एवं व्यर्थ होने से निरस्तनीय है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सूचित किया जाना उचित पाते है।

अतः आज्ञा है कि:-

प्रार्थी (तहसीलदार रूपवास) का प्रार्थना पत्र (रिफरेन्स) स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि आराजी नम्बर 1949/1057 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0तालाब वाले ग्राम रूपवास तहसील रूपवास का किया गया नामान्तरकरण सं0 804 से इन्द्राज खातेदारी अप्रार्थी निरस्त किया जाकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को प्रेषित की जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे दिनांक 12.06.2028 को उपस्थित हो। यह पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फौसल शुमार हो।

आज्ञा सुनाई गयी ।

67

(घनश्याम शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

भरतपुर